1

क्षेत्रीय परिषदें
(zonal councils)

संघीय व्यवस्था में केन्द्र व राज्यों के बीच शक्ति का वितरण किया जाता है। लेकिन यह भी जरूरी हो जाता है। इकाइयों को एक दूसरे से जोड़ा जाये। ताकि केन्द्र व राज्यों के बीच टूट-फूट की प्रक्रिया शुरु न हो सके। राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चलती रही। अतः नये राज्यों का निर्माण हुआ।

कुछ राज्यों व क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान
(Special Provisions for Some States and areas)

हम देख चुके है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था स्थापित की गयी है अतः केन्द्र व राज्यों के बीच शक्तियाँ का वितरण किया गया है, राज्य की सरकारों को अपने क्षेत्र में स्वायतता दी गयी है।
केन्द्र किसी संघ-शासित क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश बिहार व मध्यप्रदेश को काटकर क्रमशः उतराखण्ड, झारखण्ड व छतीसगढ़ के राज्य बने।

हमारा संविधान हमारे राष्ट्र का आधार स्तंभ है।

1950 में इसका उद्घाटन हुआ और तभी से यह चला आ रहा है।
दुर्भाग्य की बात है कि हालिया समय मे इसके क्रियान्वयन मे गिरावट आयी है। अब भारत को इससे बड़ी अन्य कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ ईमानदार लोग हो, जो देश के हित को अपने समझ रखें।